

## अनुपस्थिती संबंधी आवश्यक निर्देश

1. महानिदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा के आदेशानुसार महाविद्यालय से 06 दिन या महीने में कभी भी 15 दिन अनुपस्थित रहने पर विधार्थी का नाम काट दिया जाएगा ।
- 2 . नाम कटने के बाद 15 दिन के अंदर-अंदर पुनः प्रवेश करवाया जा सकता है । 15 दिन बाद पुनः प्रवेश नहीं होगा ।
3. पुनः प्रवेश के लिये विधार्थी एवं उसके माता- पिता या अभिभावक का प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है ।
- 4 . पुनः प्रवेश के समय विधार्थी को 500रु० /- पुनः प्रवेश फीस एवं अनुपस्थिति जुर्माना देना होगा ।
- 5 . अनुपस्थिति जुर्माना पर लेक्चर / प्रतिदिन का @ 5 रु० होगा
- 6 . एक समेस्टर में सिर्फ एक बार पुनः प्रवेश होगा । उसी समेस्टर में दुबारा नाम कटने पर दुबारा प्रवेश नहीं होगा और विधार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये पात्र नहीं होगा ।